

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 09/2024

बउनवान

जिला रसद अधिकारी, बारां जिला-बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री मुंशीराम सहरिया (पॉश कोड-8721), उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत रेलावन, तहसील-किशनगंज, जिला-बारां (राज.)

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :-1. पेरोकार रसद

2. श्री बाबूलाल जैन एड.

(प्रार्थी)

(अप्रार्थी)

आदेश दिनांक- 04.06.2025

1- प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितता कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर कार्यालय के पत्रांक 463-69 दिनांक 22.02.2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेहूँ NFSA 51912.86 किग्रा. का गबन करने एवं अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर खण्ड 8 क व 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर कार्यालय के आदेश क्रमांक 1676-1685 दिनांक 17.05.2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 314/2005 को निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/-रु. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। तथा उक्त उचित मूल्य दुकानदार से 51912.86 किग्रा गेहूँ की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकोनॉमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/- रु. प्रति किलो की दर से गेहूँ के पेटे 1401647/- रूपये की वसूली की जानी है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र 1 प्रस्तुत करने पर दिनांक 18.09.2024 को प्रपत्र-2 धारा-4 के तहत जारी किया गया है।

2- प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमॉग वसूली अधिनियम-1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा-6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा-4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3- अप्रार्थी की ओर से जयें अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि प्रार्थी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सर्वथा गलत व निराधार है प्रार्थी ने कभी भी खाद्यान्न सामग्री का गबन नहीं किया है। प्रार्थी के खिलाफ धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो आरोप पत्र पेश किया गया था जो श्रीमान द्वारा खारिज किया गया है उसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा जयपुर सक्षम अधिकारी के यहां अपील दायर की हुई है जो वर्तमान में वहां पर जेरकार है उसमें संभावना है कि प्रार्थी को उसमें शीघ्र ही स्थगन आदेश प्राप्त हो जायेगा। प्रकरण में जो सामग्री गेहूँ वगैरा की लिस्ट जो इस्पेक्टर द्वारा पेश की गई है वह फर्जी एवं बनावटी है सम्बन्धित अधिकारी ने कभी भी मोकें पर जाकर कोई पूछताछ नहीं की यदि सम्बन्धित अधिकारी मोकें पर जाकर पूछताछ करते तो उसके पास जो स्टॉक है वह जानकारी देता तथा सम्बन्धित अधिकारी ने मार गांव वालो के कहने पर ही सारी लिस्ट बनाकर पेश की है जिन पर किसी भी तरह से आरोप नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के खिलाफ जो कार्यवाही वसूली की कर रखी है वह सम्बन्धित अधिकारी व

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बेबुनियाद है प्रार्थी गरीब परिवार का व्यक्ति है उसके विरुद्ध जो वसूली की कार्यवाही की गई है वह गलत है उसके पास देने के लिये कोई सम्पत्ति नहीं है जिससे वसूली हो सके। अतः प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावे।

4- जवाब पेश होने पर हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

5- दौराने बहस परोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेहूँ NFSA 51912.86 किग्रा. का गबन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 314/2005 निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/-रु. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। अप्रार्थी से गेहूँ NFSA 51912.86 किग्रा. की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकोनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/- रु. प्रति किलो की दर से गेहूँ के पेटे 1401647/-रु. वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

6- दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सर्वथा गलत व निराधार है प्रार्थी ने कभी भी खाद्यान्न सामग्री का गबन नहीं किया है। प्रकरण में जो सामग्री गेहूँ वगैरा की लिस्ट जो इस्पेक्टर द्वारा पेश की गई है वह फर्जी एवं बनावटी है सम्बन्धित अधिकारी ने कभी भी मोके पर जाकर कोई पूछताछ नहीं की तथा सम्बन्धित अधिकारी ने केवल मात्र गांव वालो के कहने पर ही सारी लिस्ट बनाकर पेश की है जिन पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के खिलाफ जो कार्यवाही वसूली की कर रखी है वह सर्वथा झूठी व बेबुनियाद है प्रार्थी गरीब परिवार का व्यक्ति है उसके विरुद्ध जो वसूली की कार्यवाही की गई है वह गलत है उसके पास देने के लिये कोई सम्पत्ति नहीं है जिससे वसूली हो सके। अतः प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावे।

7- हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया कि अप्रार्थी ने जवाब में अंकित किया है कि सामग्री गेहूँ वगैरा की लिस्ट जो इस्पेक्टर द्वारा पेश की गई है वह फर्जी एवं बनावटी है सम्बन्धित अधिकारी ने कभी भी मोके पर जाकर कोई पूछताछ नहीं की परन्तु यह सूचियां गलत होने के संबंध में अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ भी कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया है। अस्तु अप्रार्थी का यह कथन नितान्त असत्य होना पाया जाता है कि अप्रार्थी ने खाद्यान्न का गबन नहीं किया हो। इसी आधार पर अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 314/2005 निरस्त किया गया। तथा गेहूँ की मात्रा के आधार पर भारतीय खाद्य निगम की इकोनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/- रु. प्रति किलो की दर से गेहूँ के पेटे 1401647/-रु. वसूली योग्य निकाली गई है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

8- अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री मुंशीराम सहरिया (पॉश कोड-8721), उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत रेलावन, तहसील-किशनगंज, जिला-बारां (राज.) से राजस्थान जनमॉंग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 1401647/-रुपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा-4 जिला रसद अधिकारी, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 04.06.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(Signature)
(रोहितेश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,
बारां (राज.)